411

संख्या– ——— /XXXVI(1)/2013–326/2001

प्रेषक,

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
लोक सेवा अधिकरण, उत्तराखण्ड
316– फैज–II, वसन्त विहार,
देहरादून।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 22 फरवरी, 2013

विषय– लोक सेवा अधिकरण, उत्तराखण्ड देहरादून में संयुक्त निबन्धक (सिविल जज, सीनियर डिवीजन वेतनमान में) की निरन्तरता बढाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–48/लो0से0अधि0/देहरादून दिनांक 02–02–2013 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–168/XXXVI(1)/2011–326/2011 दिनांक 01–09–2011 द्वारा पुर्नजीवित/सृजित संयुक्त निबन्धक का 01 पद की निरन्तरता वर्तमान शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाये, दिनांक 01–03–2013 से 28–02–2014 तक बढाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–04–लोक सेवा अधिकरण–00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–1–1270/76–दस, दिनांक 20–07–1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–2–877/दस–92–24(8)/92 दिनांक 07–11–1992 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे है।

भवदीय

(डी0 पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव

संख्या– 59 (1) /XXXVI(1)/2013–326/2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– वित्त अनुभाग–5/कार्मिक अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्डबुक।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव

D:\Bhagwan folder\vividh letter.doc